चीन से आतंकवाद व ब्रह्मपुत्र पर वार्ता

विदेश मंत्रियों के बीच साझा हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 19 अगस्त. चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ यहां दो दिन तक अलग-अलग स्तर की वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने सीमा पार आतंकवाद और चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे विशाल बांध का मुद्दा उठाते हुए जोरदार तरीके से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया.

विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों के बीच वार्ताओं के दौर संपन्न होने के बाद मंगलवार देर शाम एक वक्तव्य जारी कर कहा कि विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में सीमा पर तनाव कम करने, परिसीमन और सीमा मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई. विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा में साझा हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत यात्रा पर आए श्री वांग ने भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के अलावा विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की और बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की. बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और याद दिलाया कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसका शिखर सम्मेलन इस महीने के अंत में चीन में आयोजित किया जाएगा.

> चर्चा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र नदी) के निचले इलाकों में चीन द्वारा विशाल बांध के निर्माण के संबंध में भारत की चिंताओं को भी रेखांकित किया, जिसका निचले तटवर्ती राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा. इस संबंध में अत्यधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया. चीनी पक्ष ने ताइवान का मुद्दा उठाया इस पर भारतीय पक्ष ने ज़ोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है.

गाजीपुर में नौवीं के छात्र ने की दसवीं के छात्र की हत्या

स्कूल में बने शौचालय में चाकूबाजी की घटना

गाजीपुर, 19 अगस्त. एक 9वीं कक्षा के छात्र ने फल काटने वाले चाकू से 10वीं कक्षा के छात्र आदित्य वर्मा पर हमला कर दिया. शौचालय में हुई इस खौफनाक घटना में आदित्य की मौत हो गई और तीन अन्य छात्र घायल हो गए. मामले में दो नाबालिगों पर हत्या का केस दर्ज. स्कूल जिसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वो दिल दहला देने वाली वारदात का गवाह बना है. गाजीपुर में एक छात्र ने स्कूल के सीनियर छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी. गाजीपुर शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सनबीम स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा (15) की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना स्कूल की तीसरी मंजिल पर बने शौचालय में हुई, जहां पहले से तनातनी चल रही छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए. बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र फल काटने वाला चाकू पानी की बोतल में छिपाकर लाया था. शौचालय में कहासुनी के बाद आरोपी ने आदित्य के सिर और सीने पर चाकू से चार वार किए. आदित्य लहूलुहान हालत में शौचालय से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, जिसे एक शिक्षिका ने गोद में लेकर संभाला, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

अमूल दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा

नई दिल्ली, 19 अगस्त. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अमूल को दुनिया के सबसे सशक्त खाद्य और डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है.

शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के अनुसार गुजरात में 15740 डेयरी सहकारी समितियां कार्यशील है. गुजरात में एक सुविकसित डेयरी सहकारी नेटवर्क है जिसका नेतृत्व गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (अमूल) करता है जिसमें 18 जिला संघ और 36 लाख से अधिक सदस्य शामिल है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में गुजरात से अमूल अपने सहकारी नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 250 लाख लीटर दूध प्राप्त करता है जिससे गुजरात देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक बन गया है.

अमूल को दुनिया के सबसे सशक्त खाद्य और डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है और सालाना 24 अरब पैक बिकने के साथ यह दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है. उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत गुजरात को 515 करोड़ के कुल परियोजना परिव्यय के साथ 315 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है जिसके परिणामस्वरूप 2052 बल्क मिल्क कूलर, 4309 स्वचालित दूध संग्रहण प्रणालियां और दूध में मिलावट का पता लगाने वाली एक हजार मशीनें स्थापित की गई हैं.

सीएसडीएस संजय ने मांगी माफी

नई दिल्ली, 19 अगस्त. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट पर उठे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार ने अपने विवादित ट्वीट को हटाते हुए माफी मांग ली है.

उन्होंने स्वीकार किया कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना में गंभीर गलती हुई थी. संजय कुमार ने कहा कि उनकी डेटा टीम ने रॉ आंकड़ों को गलत पढ़ा, जिसकी जिम्मेदारी वे खुद लेते हैं और इस त्रुटि पर खेद जताते हैं. दरअसल, संजय कुमार ने दावा किया था कि नासिक पश्चिम और हिंगना सीटों पर मतदाताओं की संख्या क्रमशः 47 और 43 फीसदी बढ़ी है, जबकि रामटेक और देवलाली में 38 और 36 फीसदी की कमी दर्ज हुई है. इस दावे के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था.

लेकिन माफी के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्ष ने 40 घंटे तक झूठ फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर करने और चुनाव आयोग की साख को धूमिल करने की कोशिश की. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सीएसडीएस खुद अपनी गलती मान रहा है तो कांग्रेस अब भी चुनाव आयोग को कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है. जो वोट चोरी का आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब है.

सुप्रीम कोर्ट ने कार्टून बनाने वाले हेमंत की अंतरिम राहत बढ़ाई

नई दिल्ली, 19 अगस्त. उच्चतम न्यायालय ने पीएम व आरएसएस के कथित आपत्तिजनक कार्टून बनाने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि मंगलवार को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने अगली सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण अवधि बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें 10 दिनों के भीतर माफीनामा प्रकाशित करना चाहिए. पीठ के समक्ष मालवीय के अधिवक्ता ने कहा कि वह अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर माफीनामा प्रकाशित करेंगे.

इटली पीएम ने वाइट हाउस में कहा 'नमस्ते'

जॉर्जिया मेलोनी की वाइट हाउस में बनी चर्चा का केंद्र

इटली, 19 अगस्त. प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक सहायक को 'नमस्ते' कहकर किया स्वागत. यह छोटा सा पल वाइट हाउस में सबका ध्यान खींच ले गया.

मेलोनी की यह भारतीय शैली की विनम्रता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे वैश्विक संस्कृति के प्रति सम्मान और वैकल्पिक अभिवादन का उदाहरण माना जा रहा है. एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 'नमस्ते' कहकर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वीडियो अब दुनियाभर में वायरल हो रहा है वाशिंगटन में वाइट हाउस के भीतर एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हो गया, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहायक का स्वागत पारंपरिक भारतीय अभिवादन 'नमस्ते' के साथ किया. जहाँ अन्य नेता हाथ मिलाने या औपचारिक मुस्कान के जरिए स्वागत कर रहे थे, वहीं मेलोनी की यह एक छोटी-सी विनम्रता सबका ध्यान खींच ले गई. यह दृश्य उस वक्त सामने आया जब अंतरराष्ट्रीय बैठक से पहले सभी नेता आपस में मिल रहे थे.

> 'नमस्ते' का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव और मेलोनी की सभ्यता का उदाहरण बता रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे क्लास विद कल्चर बताया. मेलोनी का यह अंदाज़ सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया. उनके इस अभिवादन ने यह संकेत भी दिया कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है. इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी मौजूद थे, जो इस बार औपचारिक ब्लैक सूट में दिखे. वहीं, रूस-यूक्रेन शांति समझौते को लेकर ट्रंप और यूरोपीय नेताओं में गंभीर वार्ता हुई.

प्रधानमंत्री मोदी से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी

नई दिल्ली. भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने तथा शांति बहाली पर विशेष जोर दिया गया. पीएम मोदी और वांग यी के बीच बातचीत में व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने, निवेश बढ़ाने और आपसी विश्वास बहाल करने पर चर्चा हुई. पीएम ने स्पष्ट किया कि भारत चाहता है दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान और संप्रभुता के आधार पर आगे बढ़ें.

एक नजर में

यूक्रेनी ड्रोन के मलबे से रिफाइनरी में लगी आग

मॉस्को, 19 अगस्त. दक्षिण-पश्चिमी रूसी शहर वोल्गोग्राद में गिराए गये यूक्रेनी ड्रोन के मलबे से एक अस्पताल और एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई. क्षेत्रीय गवर्नर आंद्रे बोचारोव ने जानकारी देते हुए बताया कि रूसी सेनाओं ने वोल्गोग्राद पर एक बड़े ड्रोन हमले को विफल कर दिया. शहर के दक्षिणी हिस्से में ड्रोन के टुकड़ों से अस्पताल संख्या 16 की इमारत की छत और एक स्थानीय तेल रिफाइनरी में आग लग गई. उन्होंने आगे कहा, अग्निशमन कर्मी घटनास्थल पर हैं और आग पर काबू पाने का काम कर रहे हैं.

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेड्डी का स्वागत

नई दिल्ली, 19 अगस्त. विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उप राष्ट्रपति पद के लिए घोषित अपने उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी का यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। रेड्डी का हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर पहुंचने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, नासिर हुसैन, इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी सहित कई अन्य सांसदों ने गुलदस्ता भेंट कर सवागत किया. रेड्डी ने उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पहुंचे गठबंधन के नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए उप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को धन्यवाद दिया. उन्होंने सभी सांसदों से उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने की भी अपील की.

वेकोलि में सतर्कता जागरुकता अभियान का शुभारंभ

नागपुर, 19 अगस्त. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) में सतर्कता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया. वेकोलि मुख्यालय में आयोजित सतर्कता जागरूकता अभियान के उद्घाटन समारोह में जेपी द्विवेदी, सीएमडी, वेकोलि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

अपने उद्बोधन में जेपी द्विवेदी ने कहा कि कंपनी के दैनिक कार्यों में पारदर्शिता बरतने से न केवल हम अपने कार्य को नियमानुसार पूर्ण करते है बल्कि राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते है. उन्होंने निवारक सतर्कता पर जोर देते हुए कहा कि सतर्कता कार्यप्रणालियों में पारदर्शिता, दक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित करने का एक सतत प्रयास होना चाहिए. उन्होंने सभी से आह्वान किया कि कंपनी के नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य जागरूकता पूर्वक करें.

मुख्य सतर्कता अधिकारी अजय मधुकर म्हेत्रे ने उद्बोधन में सतर्कता जागरूकता अभियान के उपलक्ष्य में आयोजित विविध कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा ईमानदारी वेकोलि के मूल सिद्धांत है तथा इन्हें बल प्रदान करने हेतु सतर्कता विभाग निरंतर कार्यशील रहता है. उन्होंने कहा कि मुख्य सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार वेकोलि में 18 अगस्त से 17 नवंबर तक निवारक सतर्कता पर केन्द्रित, सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रणालीगत सुधार, एसेट मैनेजमेंट, शिकायतों का निपटान आदि पर कार्य किया जाएगा. इस अवसर पर निदेशक तकनीकी (संचालन तथा योजना एवं परियोजना) आनंद प्रसाद तथा निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. हेमंत शरद पांडे की प्रमुख उपस्थिति रही. अंत में धन्यवाद ज्ञापन महाप्रबंधक (सतर्कता) मनोज कुमार गुप्ता ने किया. समारोह में विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी आदि में मौजूद रहे.

प्रबंधन संस्थान विधेयक पारित

नई दिल्ली, 19 अगस्त. लोक सभा में मंगलवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) विधेयक, 2025 ध्वनि मत से पारित किया. शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विधेयक के संबंध में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है. विधेयक में असम के गुवाहाटी में आईआईएम स्थापित करने का प्रावधान हैं. उन्होंने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया वापस लेने की मांग व चुनावों में वोट चोरी किये जाने के आरोप लगाकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा कि वे शोरगुल न करें तथा इस अहम विधेयक पर चर्चा में शामिल हों.

CHANGE OF NAME

I, Nitesh Shukla S/o Krishna Rao Shukla R/o 15, Subhash Marg, Opp. Hunuman Mandir, Barwaha, Barwaha, West Nimar, Madhya Pradesh - 451115, have changed my minor daughter's name from Himaliya aged 10 years to Hitachi forever

2.14 लाख पंचायतें डिजिटल नेटवर्क से जुड़ीं

नई दिल्ली, 19 अगस्त. देश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. संसद में दी जानकारी अनुसार, अब तक 2,14,325 ग्राम पंचायतें भारतनेट परियोजना के तहत डिजिटल रूप से जोड़ी जा चुकी हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ावा मिला है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोस में एक लिखित उत्तर के माध्यम से बताया.

YES BANK यस बैंक लिमिटेड

शाखा पता: यस बैंक लिमिटेड, वार्ड नंबर 8, आरएम टावर नगरपालिका नंबर 269, गोराकुंड चौराहा, राजवाड़ा के पास, महात्मा गांधी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001

अचल संपत्ति के लिए आधिपत्य सूचना

ऋण खाता क्रमांक: SARFAESI MIB 1074026

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत यस बैंक लिमिटेड **('बैंक')** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक **21.04.2025** को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें **मेसर्स पलास इंटरप्राईजेस प्रोप्रा. प्रकाश गर्ग (ऋणी) साथ ही प्रकाश गर्ग (प्रोप्रायटर एवं जमानतदार), रेखा गर्ग एवं पलाश गोयल (जमानतदार)** को भी नोटिस में उल्लिखित राशि, जो कुल मिलाकर **रुपये 1,28,81,644.57 (रुपये एक करोड़ अठाईस लाख इक्यासी हजार छ: सौ चवालीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) 21 अप्रैल, 2025** तक प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए उक्त नोटिस जारी किया था।

ऋणी/सुरक्षा प्रदाता राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद् द्वारा ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **14/08/2025** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एवं सर्वसाधारण को एतद् द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन राशि **रुपये 1,28,81,644.57 (रुपये एक करोड़ अठाईस लाख इक्यासी हजार छ: सौ चवालीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) 21 अप्रैल, 2025** साथ ही लागत, शुल्क, व्यय और ब्याज सहित अन्य सभी बकाया राशि के लिए यस बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, यदि हमारी सभी लागतों, शुल्कों और हमारे द्वारा किए गए व्ययों सहित हमारी देनदारियां सार्वजनिक नीलामी/निविदा/निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय बिक्री या हस्तांतरण के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, तो सुरक्षित परिसंपत्ति को हमारे द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, एवं उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति विवरण और मालिक का विवरण

फ्लैट संख्या 101, प्रथम तल, वक्रतुंड अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 200, स्कीम नं. 97, भाग 4, स्लाइस नं. 1, इंदौर (मध्य प्रदेश) श्रीमती रेखा गर्ग के स्वामित्व में, **चर्तुसीमा** : पूर्व-सीढ़ियाँ, पश्चिम-प्लॉट नं. 201, उत्तर-अपार्टमेंट नं. 102, दक्षिण-रोड,

फ्लैट संख्या 102, प्रथम तल, वक्रतुंड अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 200, स्कीम नं. 97, भाग 4, स्लाइस नं. 1, इंदौर (मध्य प्रदेश) श्रीमती रेखा गर्ग के स्वामित्व में, **चर्तुसीमा:** पूर्व- सीढ़ियाँ, पश्चिम- प्लॉट नं. 201, उत्तर- प्लॉट 217.218, दक्षिण- अपार्टमेंट 101.

दुकान नं. एस-01, एस-02, और एस-03, भूतल, रुद्राक्ष एवेन्यू, प्लॉट नं. 432, स्लाइस 05, टाइप-जी, स्कूल नं. 97, भाग IV इंदौर, म.प्र.-452001, श्रीमती रेखा गर्ग के स्वामित्व में, **चर्तुसीमा:** पूर्व- कॉमन पैसेज, फ्लैट नं. जी-1 से सीढ़ियाँ, पश्चिम- रोड, उत्तर- कॉमन पैसेज उसके बाद प्लॉट नं. 431, दक्षिण- प्लॉट नं. 433.

स्थान : इन्दौर | प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 20.08.2025 | **यस बैंक लिमिटेड**

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (आईआईएफएल-एचएफएल) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालय प्रथम तल, प्लॉट संख्या 8/1 ए और 8/2 ए, अमर सिंह मार्ग फ्रीगंज, उज्जैन-456001/ मकान संख्या 176, स्कीम संख्या 97, स्लाइस-4, नर्मदा चौराहे के पास, गोपुर चौराहे के बाद, इंदौर-452001 को प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि आईआईएफएल-एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। IIFL-HFL के बकाया की वसूली के लिए इसे "जहाँ है, जैसा है वैसा ही और बिना किसी सहारे के" के आधार पर बेचने का अधिकार है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा www.iiflonehome.com वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
श्री बादल डोडिया श्रीमती जया प्रॉस्पेक्ट नं. (IL10280998)	27/05/2024 और रु. 1036990 (रुपये दस लाख छत्तीस हजार नौ सौ नब्बे मात्र); बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (केवल बीस हजार रुपये)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें क्रमांक 165/1/2, 10, 11, 12 से उत्पन्न भूमि के भूखंड का पूर्वी भाग शामिल है। भूमि क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, कारपेट क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, और निर्मित क्षेत्रफल 480 वर्ग फीट, पावसा गाँव, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456001	10/06/2025; कुल बकाया दिनांक 18/08/2025 तक राशि रु. 1408980/- (रुपये चौदह लाख आठ हजार नौ सौ अस्सी मात्र)	रु. 715000/- (रुपये सात लाख पंद्रह हजार मात्र); रु. 715000/- (रुपये सात लाख पंद्रह हजार मात्र)
श्री चम्पालाल शर्मा श्रीमती मिश्रा शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10195135)	15/02/2025 रु. 908859 (रुपये नौ लाख आठ हजार आठ सौ उनसठ मात्र); बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (केवल बीस हजार रुपये)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें शामिल हैं: प्लॉट संख्या 81-ए का उत्तरी भाग, नेचर वैली ग्राम जामली, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453441। क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्र, बिक्री योग्यक्षेत्र, अतिनिर्मितक्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफलः 500.00, 500.00, 400.00	प्रतीकात्मक कब्जा 07/05/2025; कुल बकाया दिनांक 18/08/2025 तक राशि रु. 1008134/- (रुपये दस लाख आठ हजार एक सौ चौंतीस मात्र)	रु. 975000/- (नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र); बयाना राशि जमा (EMD) रु. 97500/- (सन्तानवे हजार पाँच सौ मात्र)

महत्वपूर्ण सूचनाः यह नीलामी SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्जे के आधार पर प्रकाशित की गई है। भौतिक कब्जा SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 14 का आदेश प्राप्त होने के बाद और भौतिक कब्जा प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा। बोलीदाता नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पहले दस्तावेजों और वैधता के संबंध में आवश्यक जांच-पड़ताल करेगा।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
02-सितंबर-2025 1100 बजे -1400 बजे	04-सितंबर-2025 शाम 5 बजे तक।	08-सितम्बर-2025 1100 बजे-1300 बजे।

भुगतान विधिः- EMD भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। नोटः प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com पर लॉग इन करें > मेरी बोली > शेष राशि का भुगतान करें।

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा प्रपत्र" अग्रिम जमा राशि के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा/भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी समाप्ति समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समाप्ति समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक IIFL HFL के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उपनियम (1) के अंतर्गत 15 दिन की बिक्री सूचना

ऋणी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त राशि, अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित, निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

स्थानः- इंदौर, दिनांकः 20-अगस्त-2025 | **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।**

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
HINDUJA HOUSING FINANCE
पंजीकृत कार्यालयः 27-ए, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, हाउसिंग फाइनेंस, चेन्नई - 600 032, तमिलनाडु। ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com
APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)]

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV A) (नियम 8(6)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HHF) को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई-600 015 में है। चूंकि HHF के प्राधिकृत अधिकारी ("AO") ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है/है, उन्हें उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर "जहाँ है जैसा है और जो है जैसा है" के आधार पर बेचने का अधिकार है। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

ईएमडी की अंतिम तिथि: 20/09/2025 | नीलामी की तिथि: 22/09/2025 | निरीक्षण की तिथि: 10/09/2025

क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर	मांग सूचना	कब्जा / मूल्य
1	MP/KHA/KHWA/A000000195. 1. श्री अखिलेश पटेल 2. श्रीमती संगीता बाई पटेल	मांग सूचना तिथिः 28.02.2025 कुल बकाया राशि रु. 546569/- 25-02-2025 तक	कब्जे की तिथिः 19/06/2025 आरक्षित मूल्यः रु. 7,31,000/- बयाना राशि (ईएमडी) रु. 73,100/-
	संपत्ति की अनुसूचीः पी.एच.सं. 124, ग्राम पंचायत अंबापाट, तहसील एवं जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, मांग पंजी संख्या 150 भारत-450881, 63.19 वर्ग मीटर (680 वर्ग फुट) कुल क्षेत्रफल-680 वर्ग फुट। मापन क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल-680 वर्ग फुट। सीमाः विक्रय विलेख के अनुसारः पूर्व-पालिकाज भाई का बाड़ा, पश्चिम-जगदीश भाई का मकान, उत्तर-आम रास्ता, दक्षिण-अशोक भाई का मकान।		
2	MP/KHA/KHWA/A000000436. 1. श्री वीरेंद्र सिंह 2. श्री बलवंत सिंह रघुनाथ 3. श्रीमती नर्मदा बाई सिंह	मांग सूचना तिथिः 28.02.2025 कुल बकाया राशि रु. 10,67,016/- 25-02-2025 तक	कब्जे की तिथिः 19/06/2025 आरक्षित मूल्यः रु.15,36,080/- बयाना राशि (ईएमडी) रु.1,53,608/-
	संपत्ति की अनुसूचीः पी.एच. संख्या-35, खसरा संख्या-283/4, ग्राम - नरगांव, तहसील भीकनगांव, जिला - खरगोन, मध्य प्रदेश-451331। कुल क्षेत्रफल-0.023 हेक्टेयर। माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल -0.023 हेक्टेयर। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँ: पूर्व- श्री राम की भूमि, पश्चिम- बाग सिंह की खाला भूमि, उत्तर- कच्चा रास्ता, दक्षिण- प्रताप पुत्र इंदर सिंह का मकान		
3	MP/IDR/INDR/A000000082. 1. श्री विनोद कुमार जायसवाल पुत्र श्री रामगोपाल जायसवाल 2. श्री प्रमोद कुमार जायसवाल पुत्र श्री रामगोपाल जायसवाल	माँग सूचना तिथिः 01.03.2025 कुल बकाया राशि रु. 59,47,249/- 19-02-2025 तक	कब्जे की तिथिः 13/06/2025 आरक्षित मूल्यः रु. 60,75,000/- बयाना राशि (ईएमडी) रु. 6,07,500/-
	संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति सर्वे क्रमांक 351/1, ग्राम सोलसिंदा, धरमपुरी, सांवेर रोड, इंदौर, धरमपुरी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 में स्थित है। कुल क्षेत्रफल-3600 वर्ग फुट। माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल-3600 वर्ग फुट। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएँ: पूर्व-जंगल साहब का प्लॉट, पश्चिम-भगवती बाई का मकान, उत्तर-रोड, दक्षिण-गॉल थेन शिव नारायण का मकान।		
4	MP/IDR/DHAR/A000000085. 1. श्री धर्मेंद्र नारायण यादव। 2. श्रीमती भारती धर्मेंद्र।	मांग सूचना तिथिः 05.03.2025 कुल बकाया राशि रु. 10,06,109/- 25-02-2025 तक	कब्जे की तिथिः 19/06/2025 आरक्षित मूल्यः रु.17,72,240/- बयाना राशि (ईएमडी) रु.1,77,224/-
	संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति, प्लॉट/मकान संख्या 89, सर्वे संख्या 189, पटवारी हल्का संख्या 89, ग्राम जलोदिया, तहसील बड़नगर एवं जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत-456771 पर स्थित है। कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट। माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएँ: पूर्व-बड़नगर केसूर मुख्य मार्ग, पश्चिम-चतरू शर्मा का मकान, उत्तर-नागेश्वर यादव का मकान, दक्षिण-आम सड़क।		
5	MP/IDR/DHAR/A000000133. 1. श्री राधेश्याम परमार 2. श्रीमती सावित्री बाई	मांग सूचना तिथिः 08.03.2025 कुल बकाया राशि रु. 605974/- 25-02-2025 तक	कब्जे की तिथिः 19/06/2025 आरक्षित मूल्यः रु. 7,68,000/- बयाना राशि (ईएमडी) रु. 76,800/-
	संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति आवासीय मकान संख्या 66, ग्राम आबादी सर्वे संख्या 388, पी.एच. संख्या 03, वार्ड संख्या 15, ग्राम आहू, तहसील एवं जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत-454001 में स्थित है। कुल क्षेत्रफल-800 वर्ग फुट। माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल-800 वर्ग फुट। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँ: पूर्व-खुली जमीन, पश्चिम-आमरास्ता, उत्तर-आम गली, दक्षिण-अंतर सिंह का मकान।		
6	MP/IDR/DHAR/A000000091. 1. श्री सचिन सागरे 2. श्रीमती वंदना सागरे	माँग सूचना तिथिः 16.03.2025 कुल बकाया राशि रू. 6,91,483/- 10-03-2025 तक	कब्जे की तिथिः 19/06/2025 आरक्षित मूल्यः रु.16,51,200/- बयाना राशि (ईएमडी) रु.1,65,120/-
	संपत्ति की अनुसूचीः संपत्ति, प्लॉट/मकान संख्या 09, भूमि सर्वेक्षण संख्या 148, पी.एच. संख्या 68/135, ग्राम सिलोदाखुर्द, तहसील - पीथमपुर जिला धार, मध्य प्रदेश, ग्रोम सिलोदा खुर्द, धार, मध्य प्रदेश 454010 पर स्थित है। कुल क्षेत्रफल - 2400 वर्ग फुट। माप क्षेत्रः कुल क्षेत्रफल - 2400 वर्ग फुट। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाः पूर्व - कला बाई की भूमि, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः रामलाल का मकान।		
7	MP/KHA/KHWA/A000000163. 1. श्री उत्कर्ष कुमार भंडारे 2. श्री रमेश कुमार भंडारे 3. श्री मनीषा भंडारे	माँग सूचना तिथि : 29.10.2024 कुल बकाया राशि रू. 2708574/- 29-10-2024 तक	कब्जे की तिथिः 17/06/2025 आरक्षित मूल्यः रु. 49,49,760/- बयाना राशि (ईएमडी) रु. 4,94,976/-
	संपत्ति की अनुसूचीः 25, मेडिकल कॉलोनी, वार्ड क्रमांक-48, लालबहादुर शास्त्री वार्ड, सर्वे क्रमांक-44/2, प्लॉट क्रमांक-25, मेडिकल कॉलोनी, आनंद नगर, खंडवा, तहसील एवं जिला-खंडवा (मध्य प्रदेश) 450001, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, 450001। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएँ: पूर्व- प्लॉट क्रमांक-26, पश्चिम- प्लॉट क्रमांक-24, उत्तर- समिति रोड, दक्षिण- पड़त भूमि।		

नियम एवं शर्तें- 1. केवाईसी के साथ बयाना राशि जमा करने की डीडी जमा करने की अंतिम तिथि। निविदा फॉर्म और स्वीकृत नियम और शर्तें (निविदा दस्तावेज 20-09-2025 को अपराह्न 3:00 बजे के भीतर यहां उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या https://banke auctions.com पर अपलोड किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा (और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 2. बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि (संपत्ति के लिए नीलामी तिथि 22-09-2025 को https://banke auctions.com पर अपराह्न 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक है। 3. हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) ऊपर बताई गई संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी "जहां है जैसा है" "जैसा है जैसा है" और "जो कुछ भी है वह आधार पर" के आधार पर की जाएगी। 4. डिमांड ड्राफ्ट केवल हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बनाया जाना चाहिए केवल https://bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से ही किया जा सकता है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए https://banke auctions.com/registration/signup पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें। संभावित बोलीदाता https://banke auctions.com वेबसाइट के माध्यम से सेवा प्रदाता C1 INDIA PVT LTD से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 7. अधिक जानकारी के लिए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। श्री राजेश चकोटिया 8435571111 (आरआरएम), श्री वैभव श्रीवास्तव (आरएलएम) 7987969803, सुश्री अंकिता पाटिल - 7723055195 (सीएलएम), श्री गोविंद चौहान 8962816436 (सीआरएम) या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या- 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा -122003 (संपर्क संख्याः 7291981124,25,26) सहायता ईमेलः Support@banke auctions.com. श्री मिथलेश कुमार, मोबाइलः +91 70808 04466. ईमेलः delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com. आज की तिथि तक, एचएचएफ के अधिकृत अधिकारी एचएचएफएल को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत संपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटाने से रोकने या न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा देने का कोई आदेश नहीं है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक वेबसाइट https://banke auctions.com देखें।

स्थानः मध्य प्रदेश, दिनांकः 20/08/2025. | **हस्ताक्षरकर्ता/- प्राधिकृत अधिकारी - हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**